प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 जनवरी **2019**

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 19 - संघ सरकार 'भारतीय रेलवे द्वारा अनुबंध श्रमिकों के नियोजन मे विधिक प्रावधानों का अनुपालन' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 19 – भारतीय रेलवे द्वारा अनुबंध श्रमिकों के नियोजन मे विधिक प्रावधानों का अनुपालन संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

संसद ने संविदा श्रमिको को मौलिक अधिकार उपलब्ध कराने, शोषण रोकने और बेहतर कार्य स्थितियां उपलब्ध करानेके लिए कई कानून बनाए है।इसके लिए मुख्य कानूनों में संविदा श्रमिक (विनियमन व उत्सादन) अधिनियम (सीएलआरए), 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (एमडब्ल्यूए), 1948, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम (इपीएफ व एमपीए), 1952 तथा राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम (ईएसआईए), 1948 शामिल है।

भारतीय रेल अपनी विभिन्न परिसम्पतियों के निर्माण, मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु विभिन्न कार्य कार्यान्वित करती है। यह कार्य इसके स्वयं के श्रमिकों के द्वारा या बाहय एजेंसियों से उनकी आउटसोर्सिंग के द्वारा कार्यान्वित किए जाते है। बाहय एजेसिंयांरेलवे के लिए कार्य करती है और इन संविदाओं के कार्यान्वयन हेतु कामगारों को नियुक्त करती है। इन कामगारों की बड़ी संख्याको 'संविदा श्रमिक' के तहत वर्गीकृत किया जाता है। कानूनों के सांविधिक प्रावधान 'मूल नियोक्ता' के रूप में भारतीय रेल के साथ-साथ सामान्यत: 'ठेकेदारों' के रूप में संदर्भित बाहय एजेंसियों दोनों को संविदा श्रमिकों की सुरक्षा का दायित्व देती है।

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या रेल प्रशासन और उसके ठेकेदारों ने विधिक प्रावधानों का पालन किया है तथा क्या रेल प्रशासन के पास इनके अनुपालन कि निगरानी का कोई तंत्र है। लेखा परीक्षा ने तीन सालों 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि का अध्ययन किया।

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष

सीएलआरए 1970 तथा सीएलआरआर, 1971 के प्रावधानों का अनुपालन

सीएलआर, 1970 तथा सीएलआरआर, 1971के प्रावधानों के अनुसार मूल नियोक्तास्वयं को केंद्रीय श्रम आयुक्त (सीएलसी) के संगठन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा सीएलसी को निश्चित समय सीमा में रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी। ठेकेदारों के भी सीएलसी के पास पंजीकरण करना और निर्धारित समय सीमा में रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उनसे लाइसेंस समाप्त होने से पहले इस का नवीनीकरण कराना भी अपेक्षित है। उनसे संविदा श्रमिकों को मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी अपेक्षित है।संविदा श्रमिकों को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भुगतान करना अपेक्षित है और यह भुगतान बैंक/चैक द्वारा किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने समीक्षा किए गए 463 संविदाओंमे यह पाया कि

- रेल प्रशासन 140संविदाओं में केंद्रीय श्रम कमिश्नर के संगठन में पंजीकृत था। **पैरा 2.1**
- मूल नियोक्ता के रूप में रेलवे ने केवल 12 संविदाओं में केंद्रीय श्रम कमिश्नर के संगठन को वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत किया था। **पैरा 2.1.2**
- 172 संविदाओं में ठेकेदार ने सीएलसी से लाइसेंस प्राप्त नहीं किए थे। 34 संविदाओं में ठेकेदारों ने कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया था और 50 संविदाओं में लाइसेंस, कार्य शुरू होने के 750 दिनों तक के विलंब से प्राप्त किए गए थे।14 संविदाओं में ठेकेदारों द्वारा लाइसेंसों का इसकी वैधता समाप्त होने के बाद नवीकरण नहीं कराया गया।

  पैरा 2.2, तथा 2.2.3
- केवल एक संविदा के संबंध मे ठेकेदारों द्वारा श्रम आयुक्त कार्यालय मे निर्धारित रिटर्न पेश किया गया था। 285 संविदाओं के संबंध में ठेकेदारों ने श्रम कमिश्नर के कार्यालय में कोई रिटर्न प्रस्तुत नहीं की थी। **पैरा 2.2.4**
- लेखापरीक्षा 15 प्रतिशत संविदाओं में विश्राम कक्षों के प्रावधान और 21 प्रतिशत संविदाओं में पेयजल तथा मूत्रालयों के प्रावधान से संबंधित आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका। **पैरा2.3.1 और2.3.3**

- संविदा श्रमिकों को बैंक/चैक द्वारा भुगतान केवल 82 संविदाओं में ही सुनिश्चित किया जा सका। **पैरा 2.4**

एमडब्ल्यूए, 1948 तथा एमडब्ल्यूआर, 1950 के प्रावधानों का अनुपालन

ठेकेदारों द्वारा संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एमडब्ल्यूए, 1948 के प्रावधानों के अनुसार करना अपेक्षित है। रेलवे बोर्ड सभी क्षेत्रीय इकाइयों को समय-समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दरें भी परिपत्रित करता है।लेखापरीक्षा ने समीक्षा की गयी 463संविदाओंमें यह पाया कि

- एमडब्ल्यूए, 1948 के प्रावधान के अनुपालन में केवल 105 संविदाओं में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया था। संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान 129 संविदाओं में सुनिश्चित नहीं किया गया था। **पैरा 2.6.1**
- 62 संविदाओं में ठेकेदारों ने प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान नहीं किया था। 49 संविदाओं के संबंध में ठेकेदारों ने मजदूरों को न तो कोई विश्राम दिया था और न ही न्यूनतम मजदूरी की दोगुना दर पर देय विश्राम दिन की मजदूरी का भुगतान किया था जैसा कि नियम के तहत आवश्यक था। **पैरा 2.6.2 तथा 2.6.3**

ईपीएफ और एमपीए, 1952 और ईपीएफएस, 1952 के प्रावधानों का अनुपालन

संबन्धित अधिनियम और नियमावली के लक्ष्य कर्मचारियों को निर्दिष्ट प्रतिष्ठानमें, भविष्य निधि, पेंशन व जमा खाता लिंक और प्रोत्साहन प्रदान करना है।अधिनियम के तहत, मूल नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ठेकेदार ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा नियुक्त संविदा श्रमिक को पीएफ खाता संख्या आवंटित किया गया है और संविदा श्रमिक से पीएफ में योगदान के लिए कटौती की गयी और नियोक्ता के समान राशि योगदान के साथ ईपीएफओ में जमा किया गया है।लेखापरीक्षा ने समीक्षा की गयी 463संविदाओं में यह पाया कि

- रेलवे प्रशासन ने केवल 20 संविदाओं में ठेके दिये जाने से पहले ईपीएफओ में ठेकेदार के रजिस्ट्रेशन का सत्यापन किया था। **पैरा 3.1.1**
- केवल 46 संविदाओं में पाया गया कि ठेकेदारों के द्वारा पीएफ रजिस्ट्रेशन लिया गया था। 321 संविदाओं में, अभिलेख में सूचना नहीं थी। **पैरा 3.1.2**
- केवल 61 संविदाओं में संविदा श्रमिक की पीएफ खाता संख्या उपलब्ध थी। **पैरा3.1.3**

- 125 संविदाओं में पाया गया कि 3678 कर्मचारियों से ₹2.07 करोड़ की ईपीएफ कटौतियां नहीं की गई/कम की गई थी। **पैरा 3.1.4**

ईएसआईए, 1948 और ईएसआईआर, 1950 का अनुपालन

ईएसआईए,1948 , बीमारी,मातृत्व और रोजगार के समय घायल होने के मामलों में कर्मचारियों को निश्चित लाभ प्रदान करने के लिए और इसके संबंध में कुछ अन्य मामलों के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। मूल नियोक्ता अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में तथा ठेकेदार के माध्यम से कार्य में लगाये गए संविदा श्रमिक को सम्मिलित करते हुए योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और कम कटौती की गई कटौती नहीं की गई/की स्थिति मेन ठेकेदार के बिलों से देय ईएसआई कटौती करने के लिए जवाबदेह है।लेखापरीक्षा ने समीक्षा की गयी 463संविदाओं में यह पाया कि

- 116 संविदाओं में, ठेकेदार ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में पंजीकृत नहीं थे, और नियोक्ता कोड संख्याएं आवंटित नहीं की गई थी। **पैरा 4.1.1**
- 148 संविदाओं में, ठेकेदारों द्वारा ईएसआई खाता संख्याएं प्राप्त नहीं की गयी थी। **पैरा 4.1.2**
- 92 संविदाओं में, 1888 संविदा श्रमिकों से ₹0.24 करोड़ की ईएसआई कटौती नहीं की गई/कम कटौती की गई थी। **पैरा 4.2**
- रेलवे प्रशासन द्वारा ठेकेदार के बिलों से राशि की वसूली के लिए और इसे ईएसआईसी में जमा कराने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की गई। किसी भी अनुबंध में कटौती नहीं होने/कम कटौती के ऐसे मामलों का पता लगाने और अनुपालन कार्रवाई करने के लिए कोई भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद नहीं थी।**पैरा 4.3**

श्रम आयुक्त,ईपीएफओव ईएसआईसी द्वारा जांच तथा निगरानी

- उपरोक्त अधिनियमों और नियमावली के तहत सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुपालन की जांच करने के लिए श्रम आयुक्त,ईपीएफओव ईएसआईसी अधिकारियों के द्वारा किए गए निरीक्षणों को दर्शाने के लिए रेलवे प्रशासन के अभिलेखों से कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था।

पैरा 2.7 3.3 तथा 4.4

सांविधिक प्रावधानों के अननुपालन का प्रभाव

- चयनित रेलवे सरंचनाओं में 463 संविदाओं में से, 312 संविदाओं में लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर कुल संविदात्मक भुगतान के 4.02 प्रतिशत का संविदा श्रमिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। **पैरा5.2**

भारतीय रेल मे प्रणालीगत कमियाँ

- संविदाओं के शर्तों को तैयार करने से लेकर ठेकेदारों को भुगतान के लिए प्राक्कलन तैयार करने तक भारतीय रेल मे एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो कि संविदा श्रमिकों कि अधिकारों कि रक्षा तथा श्रम नियमों के अनुपालना के लिए जरूरी है। इन नियमों को भारतीय रेल कि वर्तमान व्यवस्था मे समाहित नहीं किया गया है।

  पैरा6.3